[1][(mmm) "**processing**" means powdering, crushing, decorticating, husking, parboiling, polishing, ginning, pressing, curing or any other treatment to which an agricultural produce or its product is subjected to before final consumption;

(mmmm) "**processor**" means a person who processes agricultural produce by manual or mechanical means;

[2][(mmmmm) "**Scheduled Castes**" and "**Scheduled Tribes**" shall carry the same meanings as assigned to them under clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution of India;]

[3][(n) * * * * *]

(o) "**Secretary**" means the secretary of a Market Committee;

[4][(p) "**trader**" means a person who in his normal course of business buys or sells any notified agricultural produce, and includes a person engaged in [5][processing or manufacturing] of agricultural produce, but does not include an agriculturist as defined in clause (b) of this sub-section.

(2) If a question arises whether any person is an agriculturist or not for the purpose of this Act, the decision of the Collector of the district in which such person is engaged in the production or growth of agricultural produce shall be final.

2. परिभाषाएँ-(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "**कृषि-उपज**" से अभिप्राय कृषि, उद्यान-कृषि, पशु-पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या वन सम्बन्धी समस्त उत्पादन से है, [6][* * *] जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

1. Inserted by M.P. Act No. 18 of 1979 (w.e.f. 7.6.79).
2. Inserted by M.P. Act No. 27 of 1997 (15.6.1997).
3. Substituted Clause (n) by M.P. Act No.18 of 1979 & delete by M.P. Act No. 24 of 1986 (w.e.f. 21.7.86). The clause before omission was as under:
(n) "**retail sale**" in relation to a notified agricultural produce means a sale not exceeding such quantity as may be prescribed and the term "retailer" shall be construed accordingly".
4. Subtituted for clause (p) by M.P. Act No. 26 of 1987 (1.6.1987). The Clause before substitution was as under:
(p) "**trader**" means a person who in his normal course of business buys or sells any notified agricultural produce, and includes a person engaged in processing of agricultural produce."
5. Substituted for the word "processing" by M.P. Act No. 7 of 2012 (w.e.f. 27-1-2012); published in the Madhya Pradesh Rajpatra (Asadharan), dated 27.01.2012, page 79-80(3).
6. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 5 सन् 1990 द्वारा (दिनांक 8.2.1990 से) शब्दों "चाहे वह प्रसंस्कृत हो या न हो" का लोप किया गया ।

[1][(ख) "**कृषक**" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका का साधन पूर्णतः कृषि उपज पर आधारित हो और जो अपने स्वयं के लिए,-

(एक) अपने स्वयं के श्रम द्वारा; या

(दो) अपने पति या अपनी पत्नी के श्रम द्वारा; या

(तीन) अपने व्यक्तिगत् पर्यवेक्षण या अपने कुटुम्ब के किसी ऐसे सदस्य के, जो कि ऊपर उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट है व्यक्तिगत् पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक द्वारा या ऐसी मजदूरी पर, जो कि नकद या वस्तु के रुप में देय हो किन्तु फसल के अंश के रुप में देय न हो, रखे गए नौकरों द्वारा, खेती करता हो,

किन्तु उसके अन्तर्गत कृषि-उपज का कोई व्यापारी, आढ़तिया, [2][प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता], दलाल, तुलैया या हम्माल नहीं आता है भले ही ऐसा व्यापारी, आढ़तिया, [2][प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता], दलाल, तुलैया या हम्माल कृषि-उपज के उत्पादन में भी लगा हुआ हो;

(ग) "**बोर्ड**" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड;

(घ) "**उपविधियों**" से अभिप्रेत है धारा 80 के अधीन बनाई गई उपविधियाँ;

[3][(घघ) "**कलक्टर**" से अभिप्रेत है जिले का कलक्टर और उसके अन्तर्गत अपर कलक्टर आता है;]

(ङ) "**आढ़तिया**" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अपने नियोक्ता [4][व्यापारी], की ओर से तथा प्रत्येक संव्यवहार में अंतर्वलित रकम पर कमीशन या प्रतिशतता के प्रतिफल स्वरुप कृषि-उपज का क्रय करता है तथा नगद भुगतान करता है, उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है और सम्यक् अनुक्रम में उसे नियोक्ता [4][व्यापारी] को परिदत्त करता है या [5][जो मण्डी क्षेत्र के भीतर से या मण्डी क्षेत्र के बाहर से,] विक्रय के लिए भेजी गई कृषि-उपज को प्राप्त करता है तथा अपनी अभिरक्षा में लेता है, मण्डी क्षेत्र में उसे बेचता है तथा क्रेता से उसके लिए भुगतानों का संग्रहण करता है और अपने नियोक्ता [4][व्यापारी] को विक्रय आगम भेजता है;

---

1. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 11 सन् 1985 द्वारा (दिनांक 12.06.1985 से) खण्ड (ख) प्रतिस्थापित ।
2. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27.01.2012 से) शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित; मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 27.01.2012, पृष्ठ 79-80(3) पर प्रकाशित ।
3. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07.06.1979 से) खण्ड (घघ) अन्तःस्थापित ।
4. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21.07.1986 से) अन्तःस्थापित ।
5. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07.06.1979 से) शब्दों "मण्डी क्षेत्र के बाहर से" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) Not less than one-third of the total number of seats reserved under sub-sections (2) and (3) shall be reserved for women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes, as the case may be.

(5) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) of the total number of seats shall be reserved for women and such seats shall be allotted by the Collector to different constituencies in the prescribed manner.]

[1][**11-क.मण्डी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन तथा स्थानों का आरक्षण**-(1) कलेक्टर स्थानीय समाचार-पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मण्डी क्षेत्र को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा जितनी कि उस क्षेत्र में से चुने जाने वाले कृषकों के प्रतिनिधियों की संख्या हो।

(2) प्रत्येक मण्डी समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस मण्डी समिति में भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस मण्डी समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसे स्थानों का आवंटन विहित रीति में किया जाएगा।

(3) जहां किसी मण्डी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की कुल जनसंख्या पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से कम है वहां स्थानों की कुल जनसंख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) उपधारा (2) तथा (3) के अधीन आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(5) स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कलक्टर द्वारा विहित रीति में आंवटित किए जाएंगे।]

[2][**11-B. Qualifications to vote and to be a representative of agriculturists.**-(1) Every person,-

[3][(a) whose name is entered as Bhumiswami in the village land records or who has acquired forest right under clause (a) of sub-section (1) of

1. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15.06.1997 से) धारा 11-क प्रतिस्थापित ।
2. Substituted for section 11-B by M.P. Act No. 27 of 1997 (w.e.f. 15.06.1997).
3. Substituted clause (a) by M.P. Act No. 32 of 2011 (w.e.f. 06.09.2011), published in the Madhya Pradesh Rajpatra (Asadharan), dated 06.09.2011, page 827-828. Prior to its substitution clause (a) was as under: "(a) whose name is entered as Bhumiswami in the village land records;"

Section 3 of the Scheduled Tribes and Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);]

(b) who ordinarily resides in the market area;

(c) who has completed the age of 18 years; and

(d) whose name is included in the voters' list prepared under the provisions of this Act and the rules made thereunder;

shall be qualified to vote at the election of a representative of agriculturists:

Provided that no person shall be eligible to vote in more than one constituency.

Explanation.-The word "**Bhumiswami**" shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

(2) No person shall be qualified to be elected as a representative of agriculturists unless,-

(a) his name is included in the list of voters of the market area;

(b) he is an agriculturist;

(c) he is otherwise not disqualified for being so elected :

[1][(cc) he has not more than two living children one of whom is born on or after 26th January, 2001 :

Provided that any elected representative of agriculturists shall become disqualified to hold such office if on or after 26th January, 2001 a child is born which increases the number of his children to more than two.]

(3) A person shall be disqualified for being a representative of agriculturist if he is disqualified for being an office bearer of a Panchayat under Section 36 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

(4) No person shall be eligible for election from more than one market committee or constituency as the case may be.]

[2][**11-ख.मत देने के लिए और कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए अर्हताएं**-(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति,-

[3][(क) जिसका नाम ग्राम के भू-अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्ट है या जिसने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन वन अधिकार अर्जित कर लिए हैं;]

---

1. Inserted clause (cc) by M.P. Act No. 27 of 1997 (w.e.f. 15.06.1997).
2. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15.06.1997 से) धारा 11-ख प्रतिस्थापित ।
3. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 32 सन् 2011 द्वारा (दिनांक 06.09.2011 से) खण्ड (क) प्रतिस्थापित; मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 06.09.2011, पृष्ठ 827-828 पर प्रकाशित । प्रतिस्थापन के पूर्व खण्ड (क) निम्न प्रकार था : "(क) जिसका नाम ग्राम के भू-अभिलेखों में भूमि-स्वामी के रूप में प्रविष्ट है;"

(ख) जो मण्डी क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करता है;

(ग) जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है; और

(घ) जिसका नाम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन तैयार की गई मतदाता सूची में सम्मिलित है,

कृषकों के प्रतिनिधि के निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित होगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने के लिए पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : शब्द "**भूमि स्वामी**" का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है।

(2) कोई भी व्यक्ति कृषकों का प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाने के लिए तभी अर्हित होगा जबकि,-

(क) उसका नाम मण्डी क्षेत्र की मतदाता-सूची में सम्मिलित है;

(ख) वह कृषक है;

(ग) वह इस प्रकार निर्वाचित किए जाने के लिए अन्यथा निरर्हित नहीं किया गया है;

[1][(गग) उसकी दो से अधिक जीवित संतान नहीं है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो :

परन्तु कृषकों का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जाएगा यदि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाए जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है ।]

(3) कोई भी व्यक्ति कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 36 के अधीन किसी पंचायत के पदधारी होने के लिए निरर्हित है ।

(4) कोई भी व्यक्ति यथास्थिति एक से अधिक मण्डी समिति या निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी

1.सुने जाने का अवसर-मण्डी समिति का ऐसा अध्यक्ष, जो न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो, स्वतः पद पर नहीं रहता, ऐसे मामले में सुने जाने का अवसर दिए जाने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता। कलेक्टर में त्याग पत्र स्वीकृत करने की शक्ति निहित की गई है ।**(अशोक सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2007 (1) जे.एल.जे. 319=2007 (1) एम.पी.एल.जे. 449)**

2.निरर्हता और असमर्थता के मध्य विभेद-आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया व्यक्ति, पद पर नहीं रह जाएगा और पद रिक्त हो जाएगा । उसकी दोषसिद्धि के कारण निरर्हता के मामले में और असमर्थता के कारण हटाए जाने के मामले के मध्य विभेद है । अधिनियम, 1972 की धारा 55 सदस्य को हटाए जाने से सम्बन्धित है, जबकि अधिनियम, 1972 की धारा 11-ख की उपधारा (3) सहपठित अधिनियम, 1993 की धारा 36 पद पर न रह जाने से सम्बन्धित है । कलेक्टर पद को भरने के लिए सशक्त

1. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15.06.1997 से) खण्ड (गग) अन्तःस्थापित।

धारा 10.

प्रथम मण्डी समिति का गठन होने तक भारसाधक अधिकारी की नियुक्ति-

(1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई मण्डी प्रथम बार स्थापित की जाती है तो [1]{प्रबंध संचालक} आदेश द्वारा [2]{दो वर्ष से अनधिक} कालावधि के लिये किसी व्यक्ति को भार साधक अधिकारी के रुप में नियुक्त करेगा। भार साधक अधिकारी [3]{प्रबंध संचालक} के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा:

परन्तु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उस पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलम्बित होने की दशा में यह समझा जायेगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति [4]{प्रबंध संचालक} द्वारा यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जायेगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है, तब तक कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक के रुप में कार्य करेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि मण्डी समिति का गठन पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने तक के पूर्व हो जाता है तो ऐसा भारसाधक अधिकारी नवीन रुप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये नियत की गई तारीख से अपने पद पर नहीं रहेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी भारसाधक अधिकारी को, किसी भी समय [1]{प्रबंध संचालक} द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन भारसाधक के रुप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिये वेतन तथा भत्ते, जो कि [1]{प्रबंध संचालक} द्वारा नियत किये जायें, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया भारसाधक अधिकारी उस उपधारा के अधीन अपनी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, उस तारीख तक पद धारण किये रहेगा जो कि नवीन रुप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये [3]{धारा 13 की उपधारा (1)} के अधीन नियत की गई है।

धारा 11.

मण्डी समिति का गठन-

(1) मण्डी समिति में निम्नलिखित होंगे :-

"(क) धारा 12 के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष;

(ख) कृषकों के दस प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हताएं रखते हों जैसी कि विहित की जायें, जो किसी मण्डी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में से इस अधिनियम और

[3] अध्यादेश क्र. 1/1994 राजपत्र असाधारण दि. 16.1.94 तथा संशोधन अधिनियम क्र. 8/1994 राजपत्र, असाधारण दि. 25.3.94 पृ. 270(3-5) तथा संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 राजपत्र म.प्र. दि. 30.5.97 पृष्ठ 568(1) - 568(13) द्वारा संशोधित।

[4] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97

[5] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97

उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये हों।

स्पष्टीकरण :-

इस खण्ड में अभिव्यक्ति ''कृषकों के प्रतिनिधि'' के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र का कोई ऐसा कृषक नही आयेगा यदि ऐसे कृषक का कोई नातेदार अर्थात् पत्नी, पति, पिता, माता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पिता का पिता, पिता का भाई, पिता की बहिन, माता का पिता, माता का भाई या बहिन, पिता के भाई का पुत्र या पुत्री, पिता की बहिन का पुत्र या पुत्री, माता के भाई का पुत्र या पुत्री, माता की बहिन का पुत्र या पुत्री, भाई का पुत्र या पुत्री, बहिन का पुत्र या पुत्री, पुत्र की पत्नी, पुत्री का पति, बहिन का पति, पत्नी की बहिन का पति, पिता की बहन का पति, माता की बहन का पति, पुत्र का पुत्र या पुत्री, पुत्री का पुत्र या पुत्री, पत्नी का पिता या माता, पत्नी का भाई या बहिन, पत्नी के भाई का पुत्र या पुत्री, पत्नी की बहिन का पुत्र या पुत्री, पति का भाई, पति के भाई की पत्नी, पति के भाई का पुत्र या पुत्री, राज्य की किसी मण्डी समिति से व्यापारी-अनुज्ञप्ति धारण करता है;

(ग) व्यापारियों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जैसी कि विहित की जायें, जो उन व्यक्तियों द्वारा तथा उन व्यक्तियों में से चुने जायेंगे जो इस अधिनियम के अधीन व्यापारियों के रुप में या प्रसंस्करण कारखानों के स्वामियों या अधिभोगियों के रुप में मण्डी समिति से लगातार दो वर्षों की कालावधि से अनुज्ञप्ति धारण किये हों :

परन्तु किसी ऐसी मण्डी समिति के मामले में, जो धारा 10 के अधीन प्रथमबार स्थापित की गई हो ऐसी मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी :

[1](परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति मण्डी समिति के व्यापारियों का प्रतिनिधि होने के लिये अर्हित नही होगा यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो :

[2](परन्तु यह भी कि व्यापारी का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जायेगा यदि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाए जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है :)

परन्तु यह [1](भी) कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक मण्डी समिति का मतदाता नही होगा :

परन्तु यह भी कि कोई भी व्यक्ति तभी मतदाता होगा जबकि-

(एक) उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;

(दो) वह मण्डी समिति का व्यतिक्रमी नहीं हो,

[1] संशोधन अधिनियम क्र. 21/2000 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 13.7.2000 द्वारा अंत:स्थापित/प्रतिस्थापित।
[2] संशोधन अधिनियम क्र. 21/2000 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 13.7.2000 द्वारा अंत:स्थापित/प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण :- अभिव्यक्ति ''व्यतिक्रमी'' में ऐसा व्यक्ति भी आता है जिसने मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा वसूल किये जाने वाले निराश्रित शुल्क के भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो।

(घ) राज्य की विधान सभा तथा लोक सभा के ऐसे सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र की कम से कम पचास प्रतिशत जनसंख्या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के बाहर है:

परन्तु ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ एक से अधिक मण्डी समितियां विद्यमान है, वहाँ [1](लोकसभा के सदस्य को अपना विकल्प देना होगा) कि वह ऐसी मण्डी समितियों में से किस मण्डी समिति में सदस्य होना चाहता है:

[2](परन्तु यह और कि लोक सभा का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य जो मण्डी समिति का सदस्य है अपने प्रतिनिधि को जो ऐसी अर्हता रखता हो, जैसी कि विहित की जाये, मण्डी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित कर सकेगा;)

(ङ) ऐसे मण्डी क्षेत्र में कृत्य कर रही सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि जो ऐसी सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा:

परन्तु यदि ऐसे मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक सोसाइटी कृत्य कर रही है तो ऐसा सदस्य ऐसी सोसाइटियों की प्रबंधकारिणी समितियों के समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि इस खंड में की कोई भी बात लागू नही होगी यदि किसी सोयाइटी की प्रबंधकारिणी समिति मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के उपबंधों के अधीन अतिष्ठित कर दी गई है।

(च) राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(छ) मण्डी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि जो मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करता हो जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(ज) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो ऐसे बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का ऐसा अन्य सदस्य होगा जो कि ऐसे बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये।

[1] अधिनियम क्र. 31/2000 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 5.10.2000 पृ. 1286 द्वारा संशोधित।

(झ) जिला भूमि विकास बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो ऐसे बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का ऐसा अन्य सदस्य होगा जो कि ऐसे बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये।

(ञ) मण्डी क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा :

परन्तु जिला मुख्यालयों में स्थित मण्डी समितियों में ऐसा प्रतिनिधि, केवल जिला पंचायतों के सदस्यों में से ही नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन समस्त सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा, सिवाय ऐसे सदस्यों के, जो खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट किये गये हैं और ऐसे सदस्य, जो उपधारा (1) के खण्ड (घ) के द्वितीय परन्तुक के अधीन विशेष आमंत्रित सदस्य हों।

(3) राज्य सरकार मतदाता-सूची को तैयार करने के लिये तथा निर्वाचनों के संचालन के लिये नियम बना सकेगी।

(4) यदि उपधारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन निर्वाचक मण्डल एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने में असफल रहता है तो कलक्टर यथास्थिति कृषकों या व्यापारियों का प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करेगा।

(5) सदस्य का प्रत्येक निर्वाचन तथा नामनिर्देशन कलेक्टर द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा'।

[1]{ 11-क

मण्डी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन तथा स्थानों का आरक्षण-

(1) कलक्टर स्थानीय समाचार पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मण्डी क्षेत्र को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा जितनी कि उस क्षेत्र में से चुने जाने वाले कृषकों के प्रतिनिधियों की संख्या हो।

(2) प्रत्येक मण्डी समिति में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान आरक्षित रखे जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस मण्डी समिति में भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस मण्डी समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिये ऐसे स्थानों का आवंटन विहित रीति में किया जाएगा।

[1] संशोधन अधिनियम क्र. 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 पृ. 568(14)-568(26) द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) जहां किसी मण्डी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों की कुल जनसंख्या पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से कम है वहां स्थानों की कुल जनसंख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) उपधारा (2) तथा (3) के अधीन आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(5) स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिये कलक्टर द्वारा विहित रीति में आंवटित किए जाएंगे।

11-ख

मत देने के लिए और कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिये अर्हताएं-

(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति-

(क) जिसका नाम ग्राम के भू-अभिलेखों में भूस्वामी के रुप में प्रविष्ट है;

(ख) जो मण्डी क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करता है;

(ग) जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है; और

(घ) जिसका नाम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन तैयार की गई मतदाता सूची में सम्मिलित है,

कृषकों के प्रतिनिधि के निर्वाचन में मत देने के लिये अर्हित होगा:
परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने के लिए पात्र नही होगा।

स्पष्टीकरण :-
शब्द ''भूमि स्वामी'' का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है।

(2) कोई भी व्यक्ति कृषकों का प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाने के लिए तभी अर्हित होगा जबकि-

(क) उसका नाम मण्डी क्षेत्र की मतदाता-सूची मे सम्मिलित है;

(ख) वह कृषक है;

(ङ) यह निदेश दे सकेगा कि कोई ऐसी बात, जो कि जाने वाली हो या जो की जा रही है, उत्तर पर विचार के लम्बित रहने तक, नहीं की जाना चाहिए और कोई ऐसी बात, जो की जानी चाहिए किन्तु नहीं की जा रही है, ऐसे समय के भीतर, जिसके कि सम्बन्ध में वह निर्देश दे, की जानी चाहिए।

(2) जब किसी मण्डी समिति के कार्यकलापों का इस धारा के अधीन अन्वेषण किया जाय या किसी मण्डी समिति की कार्यवाही की परीक्षा धारा 59 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की जाय, तब ऐसी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा समस्त अन्य अधिकारी तथा सेवक एवं सदस्य मण्डी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाही के बारे में अपने कब्जे में की ऐसी जानकारी देंगे जो कि यथास्थिति राज्य सरकार, [1][प्रबन्ध संचालक] या प्राधिकृत किए गए अधिकारी को अपेक्षित हो।

(3) किसी ऐसे अधिकारी को, जो उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति के कार्यकलापों का अन्वेषण कर रहा हो, या राज्य सरकार को, जो धारा 59 के अधीन किसी मण्डी समिति की कार्यवाही की परीक्षा कर रही हो, यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह मण्डी समिति के अधिकारियों या सदस्यों को, उन्हीं उपायों से तथा यथासम्भव उसी रीति में, जैसी कि किसी सिविल न्यायालय के मामलें में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) द्वारा उपबन्धित है, समन करे तथा हाजिर कराये तथा साक्ष्य देने एवं दस्तावेज पेश करने के लिए उन्हें विवश करे।

(4) जहाँ [1][प्रबन्ध संचालक] को यह विश्वास करने का कारण हो कि मण्डी समिति की पुस्तकों तथा अभिलेखों में गड़बड़ कर दी जाना या उन्हें नष्ट कर दिया जाना सम्भाव्य है या किसी मण्डी समिति की निधियों या सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरूपयोजन किया जाना सम्भाव्य है, वहाँ [1][प्रबन्ध संचालक], अपने द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को यह निदेश देते हुए आदेश जारी कर सकेगा कि वह मण्डी समिति की ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति का अभिग्रहण कर ले एवं उनका कब्जा प्राप्त कर लें और मण्डी समिति का ऐसा अधिकारी या उसके ऐसे अधिकारीगण, जो ऐसी पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों उनका परिदान इस प्रकार प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को करेंगे/करेगा।

55. Removal of Member, Chairman and Vice-Chairman of Market Committee.-[2][(1) The [3][Managing Director] may on his own motion or on a resolution passed by a majority of two-third of the members constituting the Market Committee for the time being remove any member of the Market Committee for misconduct or neglect of or incapacity to perform his duty and on such removal he shall not be re-elected or re-nominated as a member of the Market Committee for a period of six years from the date of such removal :

1. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15.06.1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. Substituted sub-section (1) by M.P. Act No. 18 of 1979 (07.06.1979).
3. Substituted for the word "Director" by M.P. Act No. 27 of 1997 (w.e.f. 15.06.1997).

Provided that no order of such removal shall be passed unless such member has been given a reasonable opportunity of showing cause why such order should not be passed.]

(2) The [1][Managing Director] may remove any Chairman or Vice-Chairman of a Market Committee from his office, for misconduct, or neglect of or incapacity to perform his duty or for being persistently remiss in the discharge of his duties and on such removal the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, shall not be eligible for re-election as Chairman or Vice-Chairman during the remainder of his term of office as member of Market Committee :

Provided that no order of removal shall be passed unless the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, has been given a reasonable opportunity of showing cause why such order should not be passed.

[2][(3) The State Government may suspend, any member or Chairman or Vice-Chairman of a Market Committee, who has been served with the notice under sub-section (1) or sub-section (2) as the case may be, and against whom any complaints have been received or who commits irregularities after the service of such notice, for period from the date of receipt of complaint or the date of noticing of irregularities by the [1][Managing Director] till the final decision is taken in his case.]

55. मण्डी समिति के सदस्य, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का हटाया जाना-[3][(1) [4][प्रबन्ध संचालक], स्वप्रेरणा से या तत्समय मण्डी समिति का गठन करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किए गए संकल्प पर, मण्डी समिति के किसी भी सदस्य को अवचार के कारण या उसके कर्तव्य के पालन में उपेक्षा या अक्षमता के कारण हटा सकेगा और इस प्रकार हटाये जाने पर उसे इस प्रकार हटाये जाने की तारीख से छः वर्ष की कालावधि के लिए मण्डी समिति के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित या पुनः नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा ;

परन्तु इस प्रकार हटाये जाने का कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे सदस्य को, यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाए ।]

(2) [4][प्रबन्ध संचालक] किसी मण्डी समिति के किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अवचार से कारण या उसके कर्तव्य के पालन में उपेक्षा या अक्षमता के कारण या उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार

1. Substituted for the word "Director" by M.P. Act No. 27 of 1997 (w.e.f. 15.06.1997).
2. Substituted sub-section (3) by M.P. Act No. 24 of 1986 (21.07.1986).
3. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 07.06.1979 से) उपधारा (1) प्रतिस्थापित ।
4. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15.06.1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

असावधान रहने के कारण उसके पद से हटा सकेगा और इस प्रकार हटा दिये जाने पर यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, मण्डी समिति के सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के शेष भाग के दौरान, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु हटाये जाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाय।

[1][(3) राज्य सरकार किसी मण्डी समिति के किसी ऐसे सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिस पर यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील कर दी गई हो, और जिसके विरूद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हों या जो ऐसी सूचना की तामील के पश्चात् अनियमितताएँ करता है, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से या अनियमितताओं के [2][प्रबन्ध संचालक] की जानकारी में आने की तारीख से ऐसी कालावधि के लिए निलम्बित कर सकेगी, जब तक कि उसके मामलें में अंतिम विनिश्चिय नहीं कर लिया जाता है।]

टिप्पणी

1. **धारा 55 (1) के उपबन्धों की प्रयोज्यता**–मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 55 की उपधारा (1) के उपबन्ध अंकेक्षण आपत्ति के आधार पर बकाया निकली राशि पर प्रयोज्य नहीं होंगे । **(शिवकुमार विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 1986 एम.पी.एल.जे. 558 मध्यप्रदेश)**

2. **उपबन्धों की सुभिन्नता**--धारा 55 के उपबन्ध सदस्यों आदि के हटाए जाने से सम्बन्धित हैं । जबकि धारा 11-ख (3) सहपठित सन् 1993 के अधिनियम की धारा 36 पद धारण नहीं करने से सम्बन्धित है । दोनों में स्पष्ट सुभिन्नता है ।**(अशोक सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2007 (1) जे.एल.जे. 319)**

3. **अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति-उपेक्षा**--किसी पद पर किसी अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति को उपेक्षा की कोटि में मान्य किया गया, न कि अनियमितता की कोटि में । **(बिहारीलाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 1983 एम.पी.एल.जे. 553)**

4. **कारण दर्शित करने का उचित अवसर**-हटाए जाने का आदेश पारित करने के पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति को कारण दर्शित किए जाने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए । **(अरविन्द कुमार पाण्डे विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 2004 (2) एम.पी.एच.टी. 45)**

5. **आदेश का अनिवार्य घटक**-हटाए जाने का आदेश पारित करने के पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति को कारण दर्शित किए जाने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए । प्रत्यर्थी को याची के अवचार या उपेक्षा के बारे में उसके स्वतंत्र निष्कर्ष अभिलिखित करने चाहिए । ऐसे निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना आदेश का अनिवार्य घटक है । ऐसे निष्कर्षों के अभाव में धारा 55 (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता । **(अरविन्द कुमार पाण्डे विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 2004 (2) एम.पी.एच.टी. 45)**

---

1. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 सन् 1986 द्वारा (दिनांक 21.07.1986 से) उपधारा (3) प्रतिस्थापित ।
2. मध्यप्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15.06.1997 से) शब्द "संचालक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6. सदस्य का हटाया जाना-याची को कृषि उपज मण्डी समिति के सदस्य के पद से हटाया गया । उसे कारण बताओ नोटिस के साथ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट नहीं दी गई । उसे सुसंगत दस्तावेज भी प्रदाय नहीं किए गए, न तो प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया गया और न ही मामला साक्षियों की प्रतिपरीक्षा किए जाने के लिए नियत किया गया । अतः याची को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया । उसे हटाए जाने के आदेश अभिखण्डित किए गए । **(महेन्द्रसिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2005 (4) एम.पी.एच.टी. 25)**

7. अवैध पारितोषण की मांग का आधार-जब तक याची को अवैध पारितोषण की मांग करने का दोषी नहीं पाया जाता और आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक याची पर अवैध पारितोषण की मांग करने के आरोप की कोई जांच किए बिना हटाए जाने की शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती । जहां न तो आरोप सिद्ध किया गया और न ही जांच की गई वहां याची का हटाया जाना स्पष्ट तौर पर अवैध और मनमाना माना गया । **(भगवानसिंह रावत विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2003 (4) एम.पी.एच.टी 309)**

56. Supersession of Market Committee.-[1][(1) If in the opinion of the [2][Managing Director], a Market Committee is not competent to perform or persistently makes default in performing the duties imposed on it by or under this Act or abuses its power the [2][Managing Director] may, by an order in writing supersede such Committee for a period not exceeding one year and on expiry of first six months of the period of supersession, action to hold the elections for the constitution of Market Committee shall be started and the period of supersession shall be deemed to expire on the date of first general meeting of the Market Committee so constituted :

Provided that before passing an order of supersession under this subsection the [2][Managing Director] shall give a reasonable opportunity to the Market Committee for showing cause against the proposal and shall consider the explanations and objections, if any, of the Market Committee :

Provided further that where the new Market Committee could not be constituted within one year of its supersession, the State Government may, in special circumstances, extend the period of supersession which shall not, in any case, exceed beyond the term of the Market Committee specified in [3][sub-section (2) of Section 13].]

[4][(2) Upon the passing of an order under sub-section (1) superseding a Market Committee, the following consequences shall ensue, namely,-

1. Substituted Sub-section (1) by M.P. Act No. 11 of 1985 (w.e.f. 12.06.1985).
2. Substituted for the word "Director" by M.P. Act No. 27 of 1997 (w.e.f. 15.06.1997).
3. Substituted for the word "sub-section (5) of Section 11" by M.P. Act No. 27 of 1997 (w.e.f. 15.06.1997).
4. Substituted sub-section (2) by M.P. Act No. 18 of 1979 (w.e.f. 07.06.1979).

धारा 57.

धारा [1](13) के अधीन विघटन के परिणाम –

(1) जहाँ कोई मण्डी समिति [2]{ धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक} के अधीन विघटित हो जाती है वहाँ निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-

(क) मण्डी समिति के समस्त सदस्यों और उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष केबारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त उपधारा के अधीन ऐसी मण्डी समिति का विघटन हो जाने की तारीख से अपना-अपना पद रिक्त कर दिया है ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसके समस्त कर्तव्यों का पालन प्रबंध संचालक के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे प्रबंध संचालक आदेश द्वारा, इस संबंध में नियुक्त करे और जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा :

परन्तु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति, प्रबंध संचालक द्वारा, यथाशक्त शीघ्र उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नही कर दी जाती है तब तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ;

(ग) मण्डी समिति में निहित समस्त सम्पत्ति इस अधिनिय के प्रयोजनों के लिए भारसाधक अधिकारी में न्यासत: निहित होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी भारसाक अधिकारी को किसी भी समय, प्रबंध संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि प्रबंध संचालक द्वारा नियत किए जाएं, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(4) यथापुनर्गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गई तारीख से भारसाधक अधिकारी अपने पद पर नही रहेगा"।

[1] संशो0 अधि0 क0 27/1997 राजपत्र असा0 दि0 30.05.97 द्वारा प्रतिस्थापित।